प्रस्तावना

1. कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के तहत स्थापित सरकारी कम्पनियों (कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सरकारी कंपनियों के रूप में स्वायत्त कंपनियों को सम्मिलित) की लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) के प्रावधानों के अनुसार की जाती है। महालेखापरीक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम के तहत नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों (चार्टड एकाउनटेंटस) द्वारा प्रमाणित लेखाएं महालेखापरीक्षक द्वारा पूरक लेखापरीक्षाधीन हैं जिसकी टिप्पणियां सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदनों का पूरक है। इसके अतिरिक्त, ये कम्पनियां नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टेस्ट ऑडिट के अधीन भी है।

2. सरकारी कंपनी या निगम की लेखाओं के संबंध में प्रतिवेदन भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्ति तथा सेवाशर्त) अधिनियम 1971 में जैसे 1984 में संशेधित, किया गया है की धारा 19 ए के प्रावधानों के अधीन नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा सरकार को प्रस्तुत किया जाता है।

3. वर्ष 31 मार्च 2016 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में रक्षा मंत्रालय के अधीन सी.पी.एस.ई से संबंधित व्यक्तिगत लेखापरीक्षा अवलोकन तथा निष्पादन लेखापरीक्षा सम्मिलित है। इस प्रतिवेदन में उल्लेखित उदाहरण वर्ष 2015-16 की अवधि की लेखापरीक्षा के दौरान के साथ पिछले वर्षों में देखे गए में से है। मार्च 2016 के उपरान्त के संव्यवहार लेखापरीक्षा के परिणामों के कई मामलों का भी उल्लेख है।

4. इस प्रतिवेदन में 'कंपनियों या सी.पी.एस.ई या डी.पी.एस.यू. के सभी उल्लेख को केन्द्र सरकारी कंपनियों के रूप में टीका किया गया जब तक की स्थिति अन्यथा सुझाव दें।

5. लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानक के साथ पुष्टि में आयोजित किया गया है।